



2026:AHC-LKO:3003-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 27 सन 2026**

उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष एवं

2 अन्य

..... अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

मोहम्मद फरीद एवं एक अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	मनीष जौहरी
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	शिशिर प्रधान, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1**माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय****माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी****(सी.एम. आवेदन (आइ.ए.) संख्या 02 / 2026 पर आदेश)**

1. सुनवाई हुई।
2. इस अपील को दाखिल करने में केवल 5 दिनों का विलंब हुआ है।
3. प्रतिवादियों के अधिवक्ता को विलंब माफ करने हेतु आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. हमने विलंब माफ करने हेतु आवेदन के समर्थन में दायर शपथ-पत्र का अध्ययन किया है और पाया है कि उसमें दिए गए कारण पर्याप्त हैं।
5. तदनुसार, हम विलंब को **माफ** करते हैं। आवेदन को **अनुमति** दी जाती है।
6. अपील को नियमित क्रमांक आवंटित किया जाए।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(अपील पर आदेश)

1. हमने अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष जौहरी को, निजी प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता श्री शिशिर प्रधान को तथा राज्य प्रतिवादी(यों) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना।
2. यह विशेष अपील अपीलकर्ताओं द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट-ए संख्या 8326/2025 (मोहम्मद फरीद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में दिनांक 03.12.2025 को पारित निर्णय एवं आदेश को चुनौती दी गई है।
3. हमने आक्षेपित आदेश का अध्ययन किया है। आक्षेपित आदेश पूरी तरह से अंतरिम प्रकृति का है, जो किसी भी मुद्दे का निर्णय नहीं करता है, इसलिए, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **शाह बाबूलाल खिमजी बनाम जयबेन डी. कानिया और अन्य, 1981 (4) एससीसी 8** में दिए गए निर्णय के अनुसार निर्णय या अंतिम आदेश के रूप में योग्य नहीं है, अध्याय VIII के तहत विशेष अपील की स्वीकार्यता के प्रयोजनों के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के नियम 5 के अनुसार।
4. तदनुसार, अपीलकर्ताओं को यह स्वतंत्रता देते हुए अपील **खारिज** की जाती है कि वे सभी प्रासंगिक दलीलें रिट न्यायालय के समक्ष उठा सकें, जहां रिट याचिका लंबित है।

जनवरी 14, 2026

प्रवीण

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।